बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग
संकल्प

संख्या–15/पी 5–09/2015 – 1202 दिनांक–19.08.2026

विषय :– **उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक व्यापक, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक रूप से वित्तीय दृष्टि से सतत् बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के 2026–2031 की अवधि के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया का संसूचन।**

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं छात्र–हितैषी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक अभाव के कारण राज्य के विद्यार्थियों को उंच्च शिक्षा से वंचित होने से बचाते हुए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत वर्ष 2016 में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ है तथा राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं युवाओं के रोजगारोन्मुखी विकास को महत्वपूर्ण बल मिला है।

वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में Gross Enrollment Ratio (GER) 17.1 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 28.4 प्रतिशत है। राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार के GER को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाते हुए इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना तथा राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में स्थापित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा भविष्य मे भी रहेगी।

योजना के प्रारंभ से अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 8,865 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है । इस अवधि में लगभग 15,801 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं । योजना के अंतर्गत बिहार एवं राज्य के बाहर अवस्थित कुल 3,429 शिक्षण संस्थानों को योजना के पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को व्यापक शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों एवं उपलब्धियों के आधार पर अब इसे वर्तमान परिपेक्ष्य में और अधिक प्रभावी, लक्षित एवं वित्तीय रूप से सतत् बनाने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है।

विगत कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा वित्तपोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM–USP CSIS), विद्या

लक्ष्मी पोर्टल तथा बैंकों के सहयोग से अन्य डिजिटल ऋण व्यवस्थाओं के प्रारम्भ होने से उच्च शिक्षा हेतु संस्थागत वित्तीय सहायता का दायरा और अधिक विस्तृत हुआ है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का इन नवीन व्यवस्थाओं के साथ प्रभावी अभिसरण (Convergence) स्थापित करते हुए इसे और अधिक व्यापक, छात्र–केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण तथा वित्तीय दृष्टि से दीर्घकालिक रूप से सतत् बनाया जाए।

अतः राज्य के विद्यार्थियों को अधिक व्यापक एवं सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों तक विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाने, भारत सरकार की योजनाओं से आच्छादित न होने वाले पात्र विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों को भी योजना का लाभ प्रदान करने, छात्राओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने, समय पर ऋण अदायगी को प्रोत्साहित करने तथा योजना को और अधिक प्रभावी एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एवं सतत् बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है।

2. <u>शिक्षण संस्थानों का दायरा एवं भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence):–</u>

(i) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP CSIS) एवं प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (PM-Vidyalakshmi) योजनातंर्गत अधिसूचित/चिन्हित पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य के बाहर एवं राज्य अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध होगा।

(ii) इसके अतिरिक्त बिहार सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप बिहार स्थित अतिरिक्त पात्र शिक्षण संस्थानों को अधिसूचित कर सकेगी।

(iii) जहाँ भी संभव होगा, योजना का संचालन भारत सरकार की प्रासंगिक छात्र ऋण योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (PM Vidyalaxmi/PM-USP-CSIS) जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence) के सिद्धांत पर किया जाएगा।

(iv) जो विद्यार्थी भारत सरकार की संबंधित योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं होंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) बैंकों के माध्यम से वितरित शिक्षा ऋणों पर अध्ययन अवधि एवं मोरेटोरियम अवधि तक देय ब्याज पर निर्धारित शर्तों के अधीन ब्याज अनुदान (Interest Subvention) उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर नियमित एवं समयबद्ध ऋण पुनर्भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 30 प्रतिशत ब्याज प्रोत्साहन (Interest Rebate) तथा छात्राओं, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3. <u>मानकीकृत शुल्क संरचना</u> (Standardised Fee Framework):–

इस योजना हेतु पाठ्यक्रमवार ऋण की अधिकतम सीमा संबंधित पाठ्यक्रम के मानकीकृत शुल्क निर्धारण के आधार पर की जायेगी। पाठ्यक्रम–शुल्क का मानकीकृत निर्धारण

संबंधित विभागों यथा तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा, स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रमों हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा तथा अन्य सभी पाठ्यक्रमों हेतु उच्च शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित मानकीकृत शुल्क संरचना के आधार पर विनियमित की जाएगी, जिससे ऋण सहायता में एकरूपता, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

4. **उत्तरदायी ऋण संस्कृति एवं क्रेडिट इकोसिस्टमः–**

(i) योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों में उत्तरदायी ऋण व्यवहार (Responsible Credit Behaviour) को भी प्रोत्साहित करना होगा।

(ii) इस उद्देश्य से ऋण पुनर्भुगतान के आधार पर लाभार्थियों के क्रेडिट इतिहास (Credit History) के निर्माण, CIBIL/अन्य मान्यता प्राप्त क्रेडिट सूचना प्रणाली से समुचित एकीकरण तथा औपचारिक वित्तीय तंत्र से उनके दीर्घकालिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. **डिजिटल शासन, सेवा वितरण एवं प्रभावी निस्तारणः–**

(i) आवेदन, स्वीकृति, ऋण वितरण, अनुश्रवण, पुनर्भुगतान एवं शिकायत निवारण की संपूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

(ii) योजना के अंतर्गत पूर्व से लंबित एवं अनुत्पादक (Stressed/Overdue) ऋणों के प्रभावी निस्तारण तथा वसूली में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों एवं मानदंडों के अधीन एकमुश्त समझौता (One Time Settlement – OTS) की व्यवस्था की जाएगी।

6. **आवश्यक कागजात** :–

- ₹2.00 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से:–

  बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति सलंग्न करनी होगी :–

(i) आवेदक एवं सह–आवेदक का आधार कार्ड।

(ii) मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(iii) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।

(iv) आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो।

(v) सस्थान में नामांकन का प्रमाण–पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)।

(vi) सस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।

(vii) आवेदक एवं सह– आवेदक यथा– माता / पिता / पति / अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

(viii) आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविगं लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक।

- दो लाख से अधिक के ऋण के लिए आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों की सूची अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (scheduled commercial banks) के प्रावधानानुसार PM-USP/PM-Vidyalaxmi योजना के अनुरूप की जाएगी।

7. आवेदन की प्रक्रियाः–

- ₹2.00 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु Online आवेदन प्राप्त किए जाएगें। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकता है।

(ii) सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल / Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी, जिसे submit करने पर One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पर प्राप्त होगा।

(iii) इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर submit करने पर एक Web page खुलेगा, जिसमें उपलब्ध 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी।

(iv) Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई–मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दी जाएगी।

(v) आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। Online आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी, जिसमें काउण्टर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा।

(vi) जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आवेदक को केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना email एवं SMS द्वारा भेजी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकते हैं।

(vii) निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिले के जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।

(viii) आवेदन की PDF प्रति पर स्व–हस्ताक्षर के उपरान्त अपना एवं सह–आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि/ऐच्छिक तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी।

(ix) आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा।

(x) आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण–पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन–पत्र के PDF की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जायंगे, जहाँ आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(xi) मूल प्रमाण पत्र scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्व–हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा।

(xii) कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी।

(xiii) आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय Multi Purpose Assistant (MPA) द्वारा किया जा सकेगा।

- दो लाख से अधिक के ऋण के लिए

(i) आवेदन प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ऋण आवेदन का प्रसंस्करण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (scheduled commercial banks) के द्वारा किया जाएगा।

(ii) जिला निबंधन कार्यालय में छात्रों को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के द्वारा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने हेतु मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

(iii) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के द्वारा शिक्षा ऋण हेतु आवेदन करते समय छात्र अपनी सुविधा के अनुसार वाणिज्यिक बैंक एवं उनके शाखा के चयन करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

8. सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित 'May I Help You' काउंटर पर आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी सामान्य पृच्छा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी पृच्छा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित Call Centre से भी कर सकते हैं।

9. **<u>आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया</u>** :–

- ₹2.00 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से:–

(i) आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन की PDF प्रति एवं वांछित कागजातों/प्रमाण पत्र जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र पर Multi Purpose Assistant (MPA) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) काउन्टर पर MPA द्वारा जाँचोपरांत प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहा ${क}$ प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के सम्पूर्ण अर्हत्ता एवं कागजातों के उपलब्धता की सुनिश्चितता के बाद Third Party Verification Agency (TPVA) को ऑन–लाईन अंतरित की जाएगी।

(iii) TPVA से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सबंधित बिन्दुओं के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा दो दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन प्रेषित की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन हस्तांतरित करने के उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को हस्तांतरित की जाएगी जहाँ निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी उसे भविष्य के संदर्भ हेतु संधारित करेंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के विधिवत् संधारण के संदर्भ में विस्तृत निदेश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(iv) आवेदनों का निष्पादन निगम के द्वारा 15 कार्य दिवस की समय–सीमा में किया जाएगा।

(v) निगम द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उन आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए आवेदन नोडल पदाधिकारी को वापस किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस में यथा स्थिति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण सभंव नहीं होने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया के सबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(vi) ऋण स्वीकृति के उपरांत आवेदक को जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(vii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबधंन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा SMS तथा e-mail से दी जाएगी। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। निर्धारित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने पर ऋण के Documentation से सबंधित कार्य का निष्पादन किया जाएगा। Documentation के उपरांत निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी जाएगी, जहाँ से राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक सस्थान और/अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

(viii) इस योजना के सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि अनुलग्नक *5* के अनुरूप होगी ।

(ix) आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS/ E-mail / Web Portal द्वारा दी जाएगी।

- ₹2.00 लाख से अधिक के शिक्षा ऋण आवेदन की स्वीकृति एवं ऋण वितरण की समयावधि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के

तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (scheduled commercial banks) द्वारा प्रावधानित नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

10. **ऋण राशि की अगली किस्तों का भुगतान :–**

- ₹2.00 लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से :–

आवेदक/सह–आवेदक द्वारा वार्षिक/semester परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण–पत्र, जो अंक–पत्र अथवा सस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र होगा, को ऑनलाईन सलंग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान हेतु DRCC पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति के उपरांत अधिकतम तीन दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपर्युक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, निर्धारित दस कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदक से प्राप्त अंक पत्रक/प्रमाण पत्रों में से आवश्यकतानुसार अथवा न्यूनतम एक प्रतिशत आवेदन का सत्यापन/जाँच TPVA द्वारा कराया जा सकेगा।

11. **स्वीकृत ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु एक सुव्यवस्थित एवं उत्तरदायी व्यवस्था:–**

(i) ₹2.00 लाख तक के ऋणों के लिए अध्ययन अवधि एवं मोरेटोरियम अवधि की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम तीन वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि तथा ₹2.00 लाख से ₹4.00 लाख तक के ऋणों के लिए अध्ययन अवधि एवं मोरेटोरियम अवधि की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम पाँच वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि निर्धारित की जाएगी। उसी प्रकार ₹4.00 लाख से ₹10.00 लाख तक वितरित शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अधिकतम दस वर्ष की अवधि अनुमान्य होगी।

(ii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा वितरित की गई शिक्षा ऋण की स्थिति में यदि आवेदक का पाठ्यक्रम अवधि अथवा Moratorium अवधि अथवा मासिक किस्त भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु हो गयी है अथवा होती है, तो भुगतान की गयी ऋण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित माफ की जाएगी। परन्तु, यदि मृत आवेदक, उसके सह–आवेदक अथवा अभिभावक द्वारा मूलधन एवं ब्याज की राशि का जो भी किस्त जमा कर दिया गया है, तो उसके अतिरिक्त मात्र अधिशेष राशि को ही माफ किया जायेगा। जबकि निगम के अतिरिक्त वितरित शिक्षा ऋण पर आवेदक के मृत्यु होने की स्थिति में भुगतान की गई ऋण की वसूली की प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

(iii) निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि के भीतर नियमित एवं समयबद्ध रूप से ऋण का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 30% ब्याज प्रोत्साहन (Interest Rebate) का लाभ प्रदान किया जाएगा। छात्राओं/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर आवेदकों को ससमय ऋण अदायगी करने की स्थिति में 10% का अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन (कुल 40% Interest Rebate) का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) इस व्यवस्था का उद्देश्य समय पर ऋण पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, उत्तरदायी ऋण संस्कृति (Responsible Credit Culture) का विकास करना तथा लाभार्थियों को औपचारिक क्रेडिट प्रणाली में सुदृढ़ रूप से स्थापित करना है।

(v) निर्धारित अवधि के भीतर ऋण के नियमित पुनर्भुगतान से लाभार्थियों का सकारात्मक क्रेडिट इतिहास (Positive Credit History) विकसित होगा, जिससे भविष्य में उन्हें औपचारिक बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त हो सकेगी।

(vi) उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा सम्पूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदक/सह–आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध PDR Act (Public Demand Recovery Act) के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

12. क्रेडिट गारंटी निस्तारण संबंधी प्रावधान

(i) योजना के अंतर्गत अनुसूचित व्यवसायिक बैंक के द्वारा दिए जा रहे वैसे शिक्षा ऋण, जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा क्रेडिट गारंटी नहीं दी जा रही , वहाँ बिहार सरकार के द्वारा 75% ऋण के विरुद्ध क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

(ii) क्रेडिट गारंटी के दावों के समयबद्ध निस्तारण की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा वित्त निगम की रहेगी बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) BSEFCL के नामित प्रकोष्ठ द्वारा क्रेडिट गारंटी से संबंधित दावों, लाभार्थियों की पात्रता एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।

(iv) परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरांत बिहार सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर देय क्रेडिट गारंटी दावा राशि संबंधित बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) इस से संबंधित जोखिम प्रबंधन, दावा निस्तारण, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में विस्तृत संचालन दिशा–निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किए जाएंगे।

(vi) BSEFCL क्रेडिट गारंटी से संबंधित गणना, दावा प्रबंधन, अनुमोदन, भुगतान, निगरानी, लेखांकन एवं प्रतिवेदन हेतु एक समेकित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित एवं संचालित करेगा।

13. **राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना**:– इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित है। इसके टॉल फ्री नं० पर विद्यार्थी योजना के प्रावधान एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेगें। इसके साथ--साथ आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेगें। इस योजना के राज्य स्तरीय पदाधिकारी कॉल–सेटंर का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और कॉल–सेंटर में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करेगें।

14. **योजना का प्रचार–प्रसार**:– राज्य सरकार की इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना की जानकारीं हो और वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

15. इस योजना के क्रियान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन के संबधं में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं अथवा कोई निर्णय लिए जाते है तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा।

16. **योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था** :–

(i) राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) एवं वित्त विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ii) निगम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) से प्राप्त आवेदन के निष्पादन की स्थिति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को MIS का access उपलब्ध कराएगा।

(iii) जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(iv) जिला पदाधिकारी अपने जिले में इस योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति, उच्च शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(v) योजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान उच्च शिक्षा विभाग एवं निगम अपने–अपने स्तर से करने में सक्षम होगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के सबंध में वांछित संशोधन तथा समय–समय पर अनुदेश निर्गत किए जा सकेंगे। परन्तु अनुलग्नक–4 में वर्णित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का इस योजनान्तर्गत आच्छादन मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

17. **पूर्व में प्राप्त आवेदन–पत्रों का निष्पादन**:– संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा। इस दिशा–निर्देशों के प्रभावी होने से पूर्व इस योजना के तहत स्वीकृत सभी आवेदनों का निष्पादन पुराने नियमों एवं शर्त्तों के अनुसार क्रियान्वित किये जायेगें।

18. **क्रियान्वयन व्यवस्था**:–योजना का संचालन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, अनुसूचित बैंकों, उच्च शिक्षा विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वित तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

19. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना सक्षम प्राधिकार होगा।

20. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध क ने की व्यवस्था को अधिक व्यापक, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक रूप से वित्तीय दृष्टि से सतत् बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सुदृढ़ीकरण एवं अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में 950.00 करोड़ रूपए मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

21. यह संकल्प दिनांक 31.07.2026 को लोक वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं दिनांक 12.08.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/8/2026

(राजीव रौशन)

सचिव

ज्ञापांकः 15/पी5–09/2015..1202... पटना, दिनांक 19 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः उप सचिव, बिहार गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18/8/2026

सचिव

ज्ञापांकः 15/पी5–09/2015...1202... पटना, दिनांक 19 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार शिक्षा वित्त निगम/प्रभारी पदाधिकारी, राज्य परियोजना अनुश्रवण समिति/कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना)/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/2026

सचिव

अनुलग्नक–'1' भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान

Source: Department of Higher Education
https://www.doheducation.gov.in/static/uploads/2026/01/9de3a363f1e3ca10e9645b323f76738e.pdf

#	Name ofInstitute	City	State/UT
1	Aligarh Muslim University	Aligarh	UttarPradesh
2	Banaras Hindu University	Varanasi	UttarPradesh
3	University of Delhi	Delhi	Delhi
4	Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management	Gwalior	MadhyaPradesh
5	Indian Institute of Information Technology	Allahabad	UttarPradesh
6	Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology , Design and Manufacturing	Jabalpur	MadhyaPradesh
7	Indian Institute of Information Technology , Design and Manufacturing	Kancheepuram	TamilNadu
8	Indian Institute of Information Technology , Design and Manufacturing	Kurnool	AndhraPradesh
9	Indian Institute of Information Technology	Dharwad	Karnataka
10	Indian Institute of Information Technology	Guwahati	Assam
11	Indian Institute of Information Technology	Kalyani	WestBengal
12	Indian Institute of Information Technology	Kota	Rajasthan
13	Indian Institute of Information Technology	Kottayam	Kerala
14	Indian Institute of Information Technology	Lucknow	UttarPradesh
15	Indian Institute of Information Technology	Senapati	Manipur
16	Indian Institute of Information Technology	Nagpur	Maharashtra
17	Indian Institute of Information Technology	Pune	Maharashtra
18	Indian Institute of Information Technology	Ranchi	Jharkhand
19	Indian Institute of Information Technology	Sonepat	Haryana
20	Indian Institute of Information Technology	Sri City	AndhraPradesh
21	Indian Institute of Information Technology	Tiruchirappalli	TamilNadu
22	Indian Institute of Information Technology	Una	HimachalPradesh
23	Indian Institute of Information Technology	Vadodara	Gujarat
24	Indian Institute of Information Technology	Agartala	Tripura
25	Indian Institute of Information Technology	Bhagalpur	Bihar
26	Indian Institute of Information Technology	Bhopal	MadhyaPradesh
27	Indian Institute of Information Technology	Raichur	Karnataka
28	Indian Institute of Information Technology	Surat	Gujarat
29	Indian Institute of Management	Ahmedabad	Gujarat
30	Indian Institute of Management	Amritsar	Punjab
31	Indian Institute of Management	Bangalore	Karnataka
32	Indian Institute of Management	Bodh Gaya	Bihar
33	Indian Institute of Management	Kolkata	WestBengal
34	Indian Institute of Management	Indore	MadhyaPradesh
35	Indian Institute of Management	Jammu	Jammu&Kashmir
36	Indian Institute of Management	Kashipur	Uttarakhand
37	Indian Institute of Management	Kozhikode	Kerala
38	Indian Institute of Management	Lucknow	UttarPradesh
39	Indian Institute of Management	Nagpur	Maharashtra

Source: Department of Higher Education
https://www.doheducation.gov.in/static/uploads/2026/01/9de3a363f1e3ca10e9645b323f76738e.pdf

#	Name ofInstitute	City	State/UT
40	Indian Institute of Management	Raipur	Chhattisgarh
41	Indian Institute of Management	Ranchi	Jharkhand
42	Indian Institute of Management	Rohtak	Haryana
43	Indian Institute of Management	Sambalpur	Odisha
44	Indian Institute of Management	Shillong	Meghalaya
45	Indian Institute of Management	Paonta Sahib	HimachalPradesh
46	Indian Institute of Management	Tiruchirappalli	TamilNadu
47	Indian Institute of Management	Udaipur	Rajasthan
48	Indian Institute of Management	Visakhapatnam	AndhraPradesh
49	Indian Institute of Science Education and Research	Berhampur	Odisha
50	Indian Institute of Science Education and Research	Bhopal	MadhyaPradesh
51	Indian Institute of Science Education and Research	Mohali	Punjab
52	Indian Institute of Science Education and Research	Pune	Maharashtra
53	Indian Institute of Science Education and Research	Thiruvananthapuram	Kerala
54	Indian Institute of Science Education and Research	Tirupati	AndhraPradesh
55	Indian Institute of Science Education and Research	Shibpur	WestBengal
56	Motilal Nehru National Institute of Technology	Allahabad	UttarPradesh
57	Maulana Azad National Institute of Technology	Bhopal	MadhyaPradesh
58	National Institute of Technology	Kozhikode	Kerala
59	National Institute of Technology	Durgapur	WestBengal
60	National Institute of Technology	Hamirpur	HimachalPradesh
61	National Institute of Technology	Jaipur	Rajasthan
62	Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology	Jalandhar	Punjab
63	National Institute of Technology	Jamshedpur	Jharkhand
64	National Institute of Technology	Kurukshetra	Haryana
65	Visvesvaraya National Institute of Technology	Nagpur	Maharashtra
66	National Institute of Technology	Patna	Bihar
67	National Institute of Technology	Rourkela	Odisha
68	National Institute of Technology	Silchar	Assam
69	National Institute of Technology	Srinagar	Jammu&Kashmir
70	National Institute of Technology	Srinagar	Uttarakhand
71	Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology	Surat	Gujarat
72	National Institute of Technology	Surathkal	Karnataka
73	National Institute of Technology	Tiruchirappalli	TamilNadu
74	National Institute of Technology	Warangal	Telangana
75	National Institute of Technology	Raipur	Chhattisgarh
76	National Institute of Technology	Agartala	Tripura
77	National Institute of Technology	Farmagudi	Goa
78	National Institute of Technology	Karaikal	Puducherry
79	National Institute of Technology	New Delhi	Delhi
80	National Institute of Technology	Shillong	Meghalaya
81	National Institute of Technology	Aizawl	Mizoram

Source: Department of Higher Education
https://www.doheducation.gov.in/static/uploads/2026/01/9de3a363f1e3ca10e9645b323f76738e.pdf

#	Name ofInstitute	City	State/UT
82	National Institute of Technology	Imphal	Manipur
83	National Institute of Technology	Dimapur	Nagaland
84	National Institute of Technology	Ravangla	Sikkim
85	National Institute of Technology	Tadepalligudem	AndhraPradesh
86	National Institute of Technology	Yupia	ArunachalPradesh
87	Indian Institute of Technology (BHU)	Varanasi	UttarPradesh
88	Indian Institute of Technology (Indian School of Mines)	Dhanbad	Jharkhand
89	Indian Institute of Technology	Bhilai	Chhattisgarh
90	Indian Institute of Technology	Bhubaneswar	Odisha
91	Indian Institute of Technology	Mumbai	Maharashtra
92	Indian Institute of Technology	New Delhi	Delhi
93	Indian Institute of Technology	Dharwad	Karnataka
94	Indian Institute of Technology	Gandhinagar	Gujarat
95	Indian Institute of Technology	Farmagudi	Goa
96	Indian Institute of Technology	Guwahati	Assam
97	Indian Institute of Technology	Hyderabad	Telangana
98	Indian Institute of Technology	Indore	MadhyaPradesh
99	Indian Institute of Technology	Jammu	Jammu&Kashmir
100	Indian Institute of Technology	Jodhpur	Rajasthan
101	Indian Institute of Technology	Kanpur	UttarPradesh
102	Indian Institute of Technology	Kharagpur	WestBengal
103	Indian Institute of Technology	Chennai	TamilNadu
104	Indian Institute of Technology	Mandi	HimachalPradesh
105	Indian Institute of Technology	Palakkad	Kerala
106	Indian Institute of Technology	Patna	Bihar
107	Indian Institute of Technology	Roorkee	Uttarakhand
108	Indian Institute of Technology	Ropar	Punjab
109	Indian Institute of Technology	Tirupati	AndhraPradesh
110	School of Planning and Architecture	Bhopal	MadhyaPradesh
111	School of Planning and Architecture	New Delhi	Delhi
112	School of Planning and Architecture	Vijayawada	AndhraPradesh
113	University of Allahabad	Allahabad	UttarPradesh
114	Visva-Bharati University	Santiniketan	WestBengal
115	Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha	Chennai	TamilNadu
116	Academy Scientific and Innovative Research	Ghaziabad	UttarPradesh
117	All India Institute of Medical Sciences	Bathinda	Punjab
118	All India Institute of Medical Sciences	Bhopal	MadhyaPradesh
119	All India Institute of Medical Sciences	Bhubaneswar	Odisha
120	All India Institute of Medical Sciences	Bibinagar	Telangana
121	All India Institute of Medical Sciences	Deoghar	Jharkhand
122	All India Institute of Medical Sciences	Gorakhpur	UttarPradesh
123	All India Institute of Medical Sciences	Jodhpur	Rajasthan

Source: Department of Higher Education
https://www.doheducation.gov.in/static/uploads/2026/01/9de3a363f1e3ca10e9645b323f76738e.pdf

#	Name ofInstitute	City	State/UT
124	All India Institute of Medical Sciences	Mangalagiri	AndhraPradesh
125	All India Institute of Medical Sciences	Nagpur	Maharashtra
126	All India Institute of Medical Sciences	Kalyani	WestBengal
127	All India Institute of Medical Sciences	New Delhi	Delhi
128	All India Institute of Medical Sciences	Patna	Bihar
129	All India Institute of Medical Sciences	Raebareli	UttarPradesh
130	All India Institute of Medical Sciences	Raipur	Chhattisgarh
131	All India Institute of Medical Sciences	Rishikesh	Uttarakhand
132	Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research	Pondicherry	Puducherry
133	National Institute of Mental Health and Neurosciences	Bangalore	Karnataka
134	Postgraduate Institute of Medical Education and Research	Chandigarh	Chandigarh
135	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Ahmedabad	Gujarat
136	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Guwahati	Assam
137	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Hajipur	Bihar
138	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Hyderabad	Telangana
139	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Kolkata	WestBengal
140	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Mohali	Punjab
141	National Institute of Pharmaceutical Education and Research	Raebareli	UttarPradesh
142	Footwear Design and Development Institute	MultipleCampus	
143	National Institute of Design	Ahmedabad	Gujarat
144	National Institute of Design	Bhopal	MadhyaPradesh
145	National Institute of Design	Jorhat	Assam
146	National Institute of Design	Kurukshetra	Haryana
147	National Institute of Design	Vijayawada	AndhraPradesh
148	Rani LakshmiBai Central Agricultural University	Jhansi	UttarPradesh
149	Rajendra Central Agricultural University	Samastipur	Bihar
150	National Forensic Sciences University	Gandhinagar	Gujarat
151	Rashtriya Raksha University	Gandhinagar	Gujarat
152	Indian Institute of Petroleum & Energy	Visakhapatnam	Andhra Pradesh
153	Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology	Raebareli	UttarPradesh
154	Kalakshetra Foundation	Chennai	TamilNadu
155	National Library	Kolkata	WestBengal
156	National Institute of Food Technology,	Thanjavur	TamilNadu

Source: Department of Higher Education
https://www.doheducation.gov.in/static/uploads/2026/01/9de3a363f1e3ca10e9645b323f76 738e.pdf

#	Name ofInstitute	City	State/UT
	Entrepreneurship and Management		
157	National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management	Sonepat	Haryana
158	Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology	Thiruvananthapura m	Kerala
159	Regional Centre for Biotechnology	Faridabad	Haryana
160	Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Jamnagar	Gujarat
161	New Delhi International Arbitration Centre	New Delhi	Delhi
162	Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	Kanchipuram	TamilNadu
163	Indian Statistical Institute	Kolkata	WestBengal
164	Nalanda University	Rajgir	Bihar

अनुलग्नक–'2' **Living Expenses** के लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूची

क्र० स०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग 'क' के शहर	वर्ग 'ख' के शहर	वर्ग 'ग' के शहर/ग्रामीण क्षेत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	---	---	वर्ग 'क' एवं 'ख' में अंकित शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर/ग्रामीण क्षेत्र
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद	विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गंटुर, नलौर	
3	अरूणाचल प्रदेश	---	---	
4	असम	---	गुवाहाटी	
5	बिहार	---	पटना	
6	चंडीगढ़	---	चंडीगढ़	
7	छत्तीसगढ़	---	दुर्ग–भिलाईनगर, रायपुर	
8	दादर एवं नगर हवेली	---	---	
9	दमन एवं द्वीव	---	---	
10	दिल्ली	दिल्ली	---	
11	गोवा	---	---	
12	गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत	
13	हरियाणा	---	फरीदाबाद, गुड़गाँव	
14	हिमाचल प्रदेश	---	---	
15	जम्मू एवं कश्मीर	---	श्रीनगर, जम्मू	
16	झारखण्ड	---	जमशेदपुर, धनबाद, राँची, बोकारो स्टील सिटी	
17	कर्नाटक	बंगलोर/बंगलुरू	बेलगाँम, हुबली–धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग	
18	केरल	---	कोझीकोड, कोच्चि, तिरूवंतपुरूम, तिरूपुर, मल्लपुरम, कनौर, कोलम	
19	लक्षद्वीप	---	---	
20	मध्य प्रदेश	---	ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन,	
21	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई, पुणे,	अमरावती, नागपुर, औरगांबाद, नासिक, भिलवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर,वसई–वीररसिटी, मेलेगाँव, नांडेड–वाघला, संघली	
22	मणिपुर	---	---	
23	मेघालय	---	---	
24	मिजोरम	---	---	

क्र० स०	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग 'क' के शहर	वर्ग 'ख' के शहर	वर्ग 'ग' के शहर / ग्रामीण क्षेत्र
25	नागालैंड	---	---	
26	उड़ीसा	---	कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला	
27	पुडुचेरी	---	पुडुचेरी	
28	पंजाब	---	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना	
29	राजस्थान	---	बीकानेर , जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर	
30	सिक्किम	---	---	
31	तमिलनाडु	चेन्नई	सलेम, त्रिपुर, कोयमबटुर, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, इरोड	
32	त्रिपुरा	---	---	
33	उत्तर प्रदेश	---	मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ, आगरा, बरेली लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी,	
34	उतराखण्ड	---	देहरादून	
35	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर	

अनुलग्नक–'3' रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय

क्र० स०	मद का नाम	निर्धारित दर		
		वर्ग 'क' के शहरों के लिए	वर्ग 'ख' के शहरों के लिए	वर्ग 'ग' के शहरों /ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1	मात्र छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष	12 x 5000 p.m = 60,000/- (साठ हजार) वार्षिक	12 x 4000 p.m = 48,000/- (अड़तालीस हजार) वार्षिक	12 x 3000 p.m= 36,000/- (छत्तीस हजार) वार्षिक
2	पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन–लेखन सामग्री	रुपये 10,000/– (दस हजार) प्रतिवर्ष		
3	लैपटॉप क्रय (तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित आवेदकों के लिए)	रुपये 35,000/– (पैतींस हजार)		

अनुलग्नक–'4' योजनान्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	क्र०सं०	पाठ्यक्रम
1.	B.A., B.Sc., B.Com. (All subject)	22.	Bachelor of Unani Medicine & Surgery (B.U.M.S)
2.	M.A., M.Sc., M.Com (All subject)	23.	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.)
3.	Aalim	24.	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)
4.	Shashtri	25.	General Nursing Midwifery (G.N.M)
5.	B.C.A.	26.	Bachelor of Physiotherapy
6.	M.C.A.	27.	Bachelor of Occupational Therapy
7.	B.Sc. (Information Technology/Computer Application/Computer Science)	28.	Diploma in Food, Nutrition/ Dietetics
8.	B.Sc. (Agriculture)	29.	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
9.	B.Sc. (Library Science)	30.	B.Sc. in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
10.	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)	31.	Bachelor of Architecture
11.	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council	32.	Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.)
12.	Hotel Management and Catering Technology	33.	M.Sc/M.Tech Integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता +2 समकक्ष है)
13.	Hospital and Hotel Management	34.	Diploma in Food Processing/ Food Production
14.	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)	35.	Diploma in Food & Beverage Services
15.	Bachelor in Yoga (Entry Level+2Pass)	36.	B.Ed.
16.	B.Tech, B.E., B.Sc. (Engineering-all branches)	37.	Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
17.	M.B.B.S.	38.	Master of Business Administration (M.B.A.)
18.	B.Sc. (Nursing)	39.	Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
19.	Bachelor of Pharmacy	40.	BL/LLB (5 Year integrated Course)
20.	Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (B.V.M.S.)	41.	Degree/Diploma in Aeronautical, Pilot Training, Shipping
21.	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (B.A.M.S)	42.	Polytechnic & ITI

अनुलग्नक–'5' योजना अंतर्गत सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि

क्र०सं०	गतिविधि	अधिकतम समय
1	आवेदक के काउण्टर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन–पत्र की MPA द्वारा प्रारंभिक जाँच, वांछित कागजातों की uploading तथा प्राप्त आवेदन को Online एवं Offline चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना।	15 मिनट
2	चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु TPVA को ऑनलाईन अंतरित करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना।	15 मिनट
3	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी (TPVA) के द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर प्रतिवदेन उपलब्ध कराना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
4	TPVA से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की Online अनुशंसा निगम को प्रेषित करना।	प्रतिवेदन प्राप्ति के दो दिनों के अंदर
5	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन (स्वीकृत/आपत्ति) किया जाना तथा स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति पत्र आवेदक को तथा DRCC को एकरारनामा के लिए प्रेषित करना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
6	आपत्ति प्राप्त आवेदन का आपत्ति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराना।	15 कार्य दिवस
7	एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को इसकी ऑनलाईन प्रति उपलब्ध कराना।	एकरारनामा की तिथि को
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण की राशि निर्गत कराना।	आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर